मत्स्यपालन विभाग
भारत सरकार

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नावली

एफ ए क्यू – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – PMMSY के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के लाभार्थी उन्मुख उपघटक/गतिविधियाँ

प्रश्न 1. क्या है पीएमएमएसवाई?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) एक फ्लैगशिप योजना है जिसे मत्स्य उत्पादन और प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट, वैल्यू चेन का आधुनिकीकरण और मज़बूती, ट्रेसबिलिटी, एक सुदृढ़ मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचा स्थापित करने और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया है।।

प्रश्न 2. पीएमएमएसवाई की अवधि क्या है ?

PMMSY योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 (पांच) साल की अवधि के लिए लागू की जा रही है।

प्रश्न 3. PMMSY फंडिंग पैटर्न के तहत लाभार्थी को किस तरह की वित्तीय सहायता/फंडिंग पैटर्न दिया जा रहा है?

केंद्रीय क्षेत्र योजना?

PMMSY के तहत लाभार्थी-उन्मुख यानी व्यक्तिगत/समूह गतिविधियों के लिए फंडिंग पैटर्न नीचे दिया गया है:

#केंद्र शासित प्रदेश (विधानमंडल वाले और बिना विधानमंडल वाले): *100%* केंद्र का हिस्सा (केंद्र शासित प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं)

लाभार्थी श्रेणी	सरकारी वित्तीय सहायता (केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों सहित)	लाभार्थी का योगदान
सामान्य श्रेणी	40%	60%
महिला/एससी/एसटी वर्ग	60%	40%

प्रश्न 5. PMMSY के तहत कौन लाभार्थी हो सकते हैं?

PMMSY योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी ये हैं: :

- मछुआरों
- मत्स्य किसान
- मत्स्य श्रमिक और मत्स्य़ विक्रेता
- मात्स्यिकी विकास निगम
- मात्स्यिकी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (आईएल.जी)
- मात्स्यिकी सहकारी समितियां
- मात्स्यिकी संघ
- उद्यमी
- निजी फर्मों
- मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन/कंपनियां (FFPOS/Cs)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति

प्रश्न 6.योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी ?

लाभार्थी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/स्व-निहित प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करना होगा तथा उसे संबंधित जिला मात्स्यिकी कार्यालय में (डीपीआरएस/एससीपी) प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 7. क्या कोई लाभार्थी डीपीआर/एससीपी सीधे मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को भेज सकता है?

नहीं, प्रस्ताव (डीपीआर/एससीपी) संबंधित राज्य के जिला मात्स्यिकी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

प्रश्न 8. क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई आयु मानदंड है?

हाँ, आवेदक की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए

प्रश्न 9. क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक परियोजनाएं शुरू कर सकता है और दो गतिविधियों में सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है ?

एक व्यक्ति केवल एक ही परियोजना के लिए आवेदन कर सकता है

प्रश्न 10. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्व-निहित प्रस्तावों में शामिल किए जाने वाले व्यापक आवश्यक तत्व क्या हैं?

i) **लागू करने वाली एजेंसी/व्यक्ति (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के डिपार्टमेंट के अलावा) का बैकग्राउंड और उनकी क्रेडेंशियल और काबिलियत, जिसमें ऑटोनॉमस एजेंसियों, एंटरप्रेन्योर्स के मामले में पिछले तीन सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल है। .**

ii) **ज़रूरत पड़ने पर फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी ताकि खास तौर पर प्रोजेक्ट वाली जगह पर मिलने वाले फायदों की डिमांड और सप्लाई के गैप का पता लगाया जा सके।**

iii) **परियोजना उद्देश्य .**

iv) **प्रत्याशित फ़ायदे में मात्रात्मक शर्तें, विशेष रूप से मत्स्य उत्पादन के वृद्धि, रोज़गार पैदा करने आदि के मामले में ।**

v) **जहां भी ज़रूरी हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस (खासकर बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के मामले में)।**

vi) **बायो सिक्योरिटी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे (यदि कोई हों)।**

vii) **जहां भी ज़रूरी हो, ज़मीन की उपलब्धता और कानूनी मंज़ूरी/परमिशन/लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्री सबूत।**

viii) **प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए फंडिंग के सोर्स (सेंट्रल मदद, राज्य का योगदान, खुद का योगदान/बैंक लोन वगैरह, जैसा भी मामला हो)।**

ix) **प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए साफ़ टाइम-लाइन (बार चार्ट के रूप में)।**

x) **इस बात का अंडरटेकिंग कि सेंट्रल फंडिंग का कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा या उसी जगह पर उसी एजेंसी द्वारा इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट लागू नहीं किया जाएगा।**

xi) **प्रोजेक्ट का डिटेल्ड कॉस्ट एस्टीमेट इस गाइडलाइन में बताए गए तरीके के अनुसार बनाया गया है।**

xii) **ज़रूरत पड़ने पर PAC, NFDB या DoF द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी संस्था के सामने प्रोजेक्ट की डिटेल्स पेश करना।**

xiii) **हालांकि, ऊपर बताए गए ज़रूरी एलिमेंट्स लोकल कंडीशंस, प्रोजेक्ट की ज़रूरतों, प्रोजेक्ट के साइज़ और पूरा होने के समय के आधार पर हर प्रोजेक्ट में अलग-अलग हो सकते हैं।**

प्रश्न 11 . क्या PMMSY के तहत सबमिट किए गए प्रपोज़ल के लिए ज़मीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी??

नहीं, प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी/इंप्लीमेंटिंग एजेंसियों को ज़रूरी ज़मीन (अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो) अपने खर्च पर लेनी होगी और PMMSY स्कीम के तहत सेंट्रल फाइनेंशियल मदद के लिए प्रपोज़ल जमा करने से पहले ज़मीन एक्वायर करने से जुड़े सभी प्रोसेस पूरे करने होंगे।

प्रश्न 12. क्या PMMSY के तहत सबमिट किए गए प्रपोज़ल के लिए लीज़ पर ली गई ज़मीन पर विचार किया जाएगा?

हाँ, कल्चर के लिए लीज़ पर ली गई ज़मीन के मामले में (इच्छित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए), न्यूनतम लीज़ अवधि DPR/SCP जमा करने की तारीख से 10 साल होनी चाहिए और रजिस्टर्ड लीज़ डॉक्यूमेंट DPR/SCP में शामिल होना चाहिए और PMMSY के तहत नॉन-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 7 (सात) साल की अवधि होनी चाहिए। .

प्रश्न 13. . PMMSY के तहत लाभ उठाने के लिए कौन-कौन सी अलग-अलग गतिविधियाँ समर्थित हैं?

PMMSY योजना के तहत सपोर्ट की जाने वाली लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों में शामिल हैं:

i. हैचरी का विकास,

ii. कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए इनपुट कॉस्ट के साथ ग्रो-आउट और पालन-पोषण तालाबों का निर्माण,

iii. री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS),

iv. बायोफ्लॉक यूनिट

v. जलाशयों में केज कल्चर,

vi. खुले समुद्र में केज,

vii. समुद्री शैवाल की खेती,

viii. बाइवाल्व कल्चर,

ix. ट्राउट फार्मिंग के लिए रेसवे का निर्माण,

x. सजावटी और मनोरंजक मात्स्यिकी,

xi. गहरे समुद्र में मत्स्यन जहाजों को खरीदने के लिए सहायता,

xii. मौजूदा मत्स्यन जहाजों का अपग्रेडेशन,

xiii. पारंपरिक और मोटराइज्ड म्त्स्यन जहाजों के मछुआरों के लिए सेफ्टी किट प्रदान करने के लिए सहायता,

xiv. पारंपरिक मछुआरों के लिए नावें और जाल उपलब्ध कराना,

i. कम्युनिकेशन/ट्रैकिंग और PFZ डिवाइस खरीदने के लिए सपोर्ट।

ii. कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, फिश मील प्लांट/मिल का निर्माण,

iii. फिश रिटेल मार्केट, कियोस्क का निर्माण,

iv. फिश वैल्यू एडेड एंटरप्राइज यूनिट,

v. रोग निदान और क्वालिटी टेस्टिंग लैब की स्थापना,

vi. मछुआरों और फिशिंग वेसल्स का बीमा,

vii. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता आदि।

प्रश्न 14. क्या प्रोजेक्ट की लागत पर कोई प्रतिबंध है?

PMMSY के तहत आने वाली एक्टिविटीज़ के लिए एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट PMMSY की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार यूनिट कॉस्ट तक ही सीमित रहेगी।.

प्रश्न 15. मैं उत्तर पूर्वी/हिमालयी क्षेत्र से हूँ, क्या PMMSY के पास उत्तर पूर्वी/हिमालयी क्षेत्र में मात्स्यिकी के विकास के लिए कोई खास योजना/गतिविधियाँ हैं?

हाँ। PMMSY में उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/UTs में मात्स्यिकी के विकास के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई योजनाएँ/गतिविधियाँ हैं।.

प्रश्न 16. क्या PMMSY के पास सजावटी मात्स्यिकी के विकास के लिए कोई योजनाएं हैं??

हाँ, PMMSY "ऑर्नामेंटल और रिक्रिएशनल मात्स्यिकी का विकास" घटक के तहत बैकयार्ड ऑर्नामेंटल फिश रेयरिंग यूनिट, मीडियम स्केल ओर्नामेंटल फिश रेयरिगं यूनिट आदि जैसे ऑर्नामेंटल फिशरीज़ के विकास के लिए सब्सिडी देती है।

प्रश्न 17. सजावटी मात्स्यिकी के विकास के लिए PMMSY के तहत कौन से उप-घटक/गतिविधियां शामिल हैं?

गतिविधियाँ	**इकाई**	**इकाई लागत(रु . लाख)**	**सरकारी सहायता (रु . लाख)**	
			सामान्य (40 %)	**एससी / एसटी /महिला (60 %)**
बेकयार्ड ओर्नामेंटल फिश रेयरिंग यूनिट (दोनों समुद्री और ताजा पानी)	संख्या	3 . 00	1 . 20	1 . 80
मीडियम स्केल ओर्नामेंटल फिश रेयरिगं यूनिट (समुद्री और मीठे पानी मत्स्य)	संख्या	8 . 00	3 . 20	4 . 80
एकीकृत ओर्नामेंटल फिश इकाई (ताजे पानी की मछलियों के लिए ब्रीडिंग और पालन-पोषण)	संख्या	25 . 00	10 . 00	15 . 00
एकीकृत ओर्नामेंटल फिश यूनिट (मरीन फिश के लिए ब्रीडिंग और पालन-पोषण)	संख्या	30 . 00	12 . 00	18 . 00
ताजे पानी की ओर्नामेंटल फिश ब्रूड बैंक की स्थापना।	संख्या	100 . 00	40 . 00	60 . 00
मनोरंजक मात्स्यिकी को बढ़ावा देना	संख्या	50 . 00	20 . 00	30 . 00

प्रश्न 18. PMMSY के तहत होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए किससे संपर्क करें?

ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-425-1660 पर कॉल कर सकते हैं।

प्रश्न 19. उत्तर-पूर्वी/हिमालयी क्षेत्र में मात्स्यिकी के विकास के लिए PMMSY के तहत कौन से सब-कंपोनेंट/गतिविधियां शामिल हैं??

निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं :

गतिविधियाँ	इकाई	इकाई लागत (रु . लाख)	सरकारी सहायता (लाख रुपए)	
			सामान्य (40 %)	एससी / एसटी / महिलाएं (60 %)
ट्राउट फिश हैचरी की स्थापना	संख्या	50 . 00	20 . 00	30 . 00
कम से कम 50 क्यूबिक मीटर के रेसवे का निर्माण	संख्या	3 . 00	1 . 20	1 . 80
ट्राउट पालन इकाइयों (रेसवे) के लिए इनपुट	संख्या	2 . 50	1 . 00	1 . 50
नए तालाबों का निर्माण	संख्या	8 . 40	3 . 36	5 . 04
नए ग्रो आउट तालाबों के लिए इनपुट	संख्या	4 . 00	1 . 60	2 . 40
ठंडे पानी की मात्स्यिकी के लिए बड़े RAS की स्थापना (कम से कम 50 m3/टैंक क्षमता वाले 10 टैंक और 10 टन/क्रॉप की मत्स्य उत्पादन क्षमता के साथ)	संख्या	50 . 00	20 . 00	30 . 00
ठंडे पानी की मात्स्यिकी के लिए मीडियम RAS की स्थापना (कम से कम 50 m3/टैंक क्षमता वाले 4 टैंक और 4 टन/क्रॉप मत्स्य उत्पादन क्षमता के साथ)	संख्या	20 . 00	8 . 00	12 . 00
इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के लिए इनपुट सहायता (धान के साथ मत्स्य की खेती, पशुधन के साथ मत्स्य, आदि)	संख्या	1 . 00	4 . 00	6 . 00
ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में केजों की स्थापना	संख्या	5 . 00	2 . 00	3 . 00

(उपरोक्त गतिविधियों के अलावा, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी सभी के लिए समान के तहत परिकल्पित अन्य उप-घटक/गतिविधियाँ

धन्यवाद!